न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

सत्र परीक्षण संख्या–158/2019

राज्य प्रति भोगीलाल आदि।

मुकदमा अपराध संख्या–254A/2014
धारा–336, 427, 504, 506(2)भा०दं०सं०।
थाना–चौबिया, जिला–इटावा।

<u>कथन अभियुक्त अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.संहिता।</u>

नाम–भोगीलाल पुत्र–स्व. बादशाह उम्र–62 वर्ष
व्यवसाय–कृषि निवासी–ग्रा० हवेली पो० हरदोई
थाना–सैफई जिला–इटावा

प्रश्न 1:– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 19.09.2014 को समय करीब 09.00 बजे रात व स्थान मकान वादी मुकदमा की ताई स्थित ग्राम हवेली, अन्तर्गत थानाक्षेत्र चौबिया, जिला इटावा में आप व सह–अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा सर्वेश कुमार पर ईट, पत्थर फेंककर हमला किया, जिससे उसका जीवन संकटापन्न हुआ। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 2:– अभियोजन कथानक के अनुसार उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप व आपके सह–अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की कार पंजीयन सं० UP 71 N 2122 को ईट, पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे वादी का दस हजार रुपए का नुकसान हुआ। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 3 :– अभियोजन कथानक के अनुसार उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप व आपके सह–अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौज देकर अपमानित किया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 4 :– अभियोजन कथानक के अनुसार उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप व आपके सह–अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 5 :– पी०डब्लू०–1 अरविन्द कुमार के आपने बयान सुने। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–मेरे विरुद्ध साक्ष्य नहीं दी है।

प्रश्न 6 :– पी०डब्लू०–2 रामगोपाल के आपने बयान सुने। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–मेरे विरुद्ध साक्ष्य नहीं दी है।

प्रश्न 7 :– पी०डब्लू०–3 सर्वेश कुमार (वादी मुकदमा) के आपने बयान सुने। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए, स्वंय द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र 156(3) दं०प्र०सं० **प्रदर्श क–1**, एस.एस.पी. को दिये गये प्रार्थना पत्र की रसीद दिनांकित 22.09.2014 **प्रदर्श क–2** व एफ.आर. निरस्त करने का प्रार्थना पत्र **प्रदर्श क–3** में स्वंय के हस्ताक्षर को साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–झूठा बयान दिया है तथा स्वंय के बचाव में झूठी कार्यवाही की है।

प्रश्न 8 :– पी०डब्लू०–4 बारेलाल के आपने बयान सुने। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कहा कि दिनांक 19.09.2014 को समय 09.00 बजे रात का को वह अपने घर पर था, उसे रसकली के घर के ओर से शोरगुल सुनाई दिया, तो वह मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके गांव के सर्वेश कुमार के ऊपर संतोष व सतेन्द्र कट्टे से फायर कर रहे थे। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–झूठा बयान दिया है अपने परिजनों को बचाने के लिए झूठी गवाही दी है।

प्रश्न 9 :– पी०डब्लू०–4 इस साक्षी ने आगे कथन किया किया कि सर्वेश अपनी जान बचाते हुए अपनी ताई के घर के अन्दर घुस गया, सर्वेश की गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, जो भोगीलाल व अमलेश कुमार ने ईट, पत्थर मारकर तोड़ डाली। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–झूठा बयान दिया है अपने परिजनों को बचाने के लिए झूठी गवाही दी है।

प्रश्न 10 :– पी०डब्लू०–4 इस साक्षी ने आगे कथन किया किया कि जब सर्वेश अपनी ताई के घर से निकला तो संतोष और सतेन्द्र ने जान से मालने की नीयत से कट्टों से फायर किये। सर्वेश किसी तरह बचकर भागा, हम लोगों के ललकारने पर मुल्जिमान भाग गये। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–झूठा बयान दिया है अपने परिजनों को बचाने के लिए झूठी गवाही दी है।

प्रश्न 11 :– पी०डब्लू०–5 राधाचरन (ए.एस.आई.एम.) के आपने बयान सुने। इस साक्षी ने कथन किया कि मूल रजिस्टर पेज सं. 8 के क्रमांक 10 पर अंकित रसीद वाहियां अभिलेखागार में दाखिलशुदा सन 2015 तक की रसीदवाहियां विनिष्ट/वीड आउट होना अंकित है। इसी छायाप्रति मूल से मिलाकर इसकी सत्या को साबित कर न्यायालय के समक्ष दाखिल कर रहा है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–झूठा बयान दिया है तथा समस्त कार्यवाही सरकारी कारगुजारी में की गयी है।

प्रश्न 12 :– पी०डब्लू०–6 सर्वेश कुमार (उपनिरीक्षक) के आपने बयान सुने। इस साक्षी ने मूल एफ.आई.आर. **प्रदर्श क–6**, जी०डी० **प्रदर्श क–7** एवं पुलिस कार्यालय से प्राप्त विनिष्ट जी०डी० आख्या **प्रदर्श क–8** को साबित किया है। इस सम्बंध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–पुलिस कारगुजारी में औपचारिक साक्ष्य दी है।

प्रश्न 13:– आपके विरुद्ध मुकदमा क्यों चला?
उत्तर–मेरी तरफ से लिखाए गए मुकदमें अ०सं० 254/2019 थाना चौबिया जिला इटावा राज्य बनाम सर्वेश आदि अं० धारा 147/148/149/307/504/506 भा०दं०सं० के बचाव में झूठा मुकदमा लिखाया गया है।

प्रश्न 14:– क्या आपको प्रतिरक्षा साक्ष्य देना है?
उत्तर–जी हाँ।

प्रश्न 15:– क्या आपको और कुछ कहना है?
उत्तर–मैं निर्दोष हूँ। मेरी तरफ से लिखाए गए मुकदमें अ०सं० 254/2014 थाना चौबिया जिला इटावा राज्य बनाम सर्वेश आदि अं० धारा 147/148/149/307/504/506 भा०दं०सं० के बचाव में झूठा मुकदमा लिखाया गया है।

यह पृच्छा मेरे द्वारा अंकित की गयी। जिसमें अभियुक्त का पूर्ण एवं यथाउक्त बयान अन्तर्विष्ट है।

सुनकर सत्यापित किया।

हस्ताक्षर अभियुक्त

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।
07.10.2024